

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—IV
PART—IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]
No. 134]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 1996/भाद्र 5, 1918
DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 1996/BHADRA 5, 1918

[पी.आर.डी. सं. 228
[P.R.D. No. 228

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग
(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)
अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 1996

क्र. एफ. 25 (258)/एस सी/एल सी/डी पी सी/95/651.—वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का नं. 14) के प्रावधानों के अनुसरण में, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिनांक 15 मार्च, 1991 की अधिसूचना सं. लीगल 158/(4)/90 के साथ पढ़े जाते हैं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पतवद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कथित अधिनियम के उद्देश्य से अधोलिखित नाम वाले ईंधनों को "स्वीकृत ईंधन" अनुमोदित करती है :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वीकृत ईंधनों की सूची

1. न्यून गंधक वाला कोयला (गंधक=0.4%)
2. ईंधन तेल/एल डी ओ/एल एस एच एस/न्यून गंधक वाला (गंधक =1.8 %)
3. मोटर गैसोलिन (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिनांक 2-4-96 की अधिसूचना में दिए गए विनिर्देशानुरूप जो संलग्न है)
4. डीजल (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिनांक 2-4-96 की अधिसूचना में दिए गए विनिर्देशानुरूप जो संलग्न है)
5. तरल पेट्रोलियम गैस (एल पी जी)
6. कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सी एन जी)
7. मिट्टी का तेल
8. नेप्था (पावर स्टेशन के लिए)
9. एविप्रेशन टर्बाइन फ्यूल (विमानों के लिए)
10. ईंधन लकड़ी (ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग एवं दाह संस्कार के लिए)
11. बायो-गैस

2060DG/96

(1)

आदेशानुसार
डी.एस. नेगी, अध्यक्ष,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

M.S. (D.P.C.C.)
Discy No. 1342
Date 27/8/96

अनुलग्नक

उत्सर्जन से संबंधित पैरामीटरों के लिए मोटर गैसोलीन के विनिर्देश

क्रम सं.	लक्षण	अपेक्षा	भा.मा. : 1448 के पी के प्रतिनिर्देश से परीक्षण की पद्धति
1	2	3	4
(i)	38° सेन्टीग्रेड के पी ए पर रोडवाश पर ताप	35 से 70	पी : 39
(ii)	बेन्जीन प्रबलता का प्रतिशत, अधिकतम	5.0 ¹	पी : 104
(iii)	सीसा अन्तर्वस्तु (पी बी के रूप में ग्राम/एल) अधिकतम	0.15 (निम्न सीसित) ² 0.013 (असीसित)	पी : 38
(iv)	सल्फर, द्रव्यमान का प्रतिशत, अधिकतम	0.10 (असीसित) 0.20 (सीसित)	पी : 34
(v)	स्थितोज राल, ग्राम/एल अधिकतम	50	ए एस टी एम 873 : 8
(vi)	राल (विलायत प्रक्षालित) ग्राम/ एम ³ अधिकतम	40	पी : 29
(vii)	आक्सीजनीकृत अन्तर्वस्तु-इथर (एम ई टी बी) (ई टी बी ई) एल्कोहल, प्रबलता का प्रतिशत, अधिकतम	15	
(viii)	फासफोरस	पाद टिप्पण 3 देखें	ए एस टी एम डी 3231

पाद टिप्पण :

- महानगरों में 2000 ई. तक प्रबलता का अधिकतम 3 प्रतिशत।
- 30 दिसम्बर, 1996 तक 0.15 ग्राम/एल (सम्पूर्ण देश के लिये) 1 अप्रैल, 1995 तक (चार महानगरों में) 0.013 ग्राम/एल 1 दिसम्बर, 1998 तक (सभी राज्यों की राजधानियों के लिये/संघ राज्य क्षेत्रों और प्रमुख महानगरों के लिये) और 1 अप्रैल, 2000 ई. तक सम्पूर्ण देश के लिये।
- संयोजकों युक्त फासफोरस अनुपस्थित होगा।

टिप्पण :—

(क) उपर्युक्त विनिर्देश सीसा अन्तर्वस्तु को जोड़कर सीसित पेट्रोल और असीसित पेट्रोल दोनों को लागू होंगे।

(ख) 1997 के दौरान या उसके पश्चात् बनने वाली नई परिष्करणियों के लिए, विद्यमान परिष्करणियों के लिए 2000 ई. तक लागू विनिर्देश 1997 तक लागू होंगे।

उत्सर्जन से संबंधित पैरामीटरों के लिए डीजल और ईंधन के लिए विनिर्देश

क्रम सं.	लक्षण	अपेक्षा	भा.मा. : 1448 के पी के प्रति निर्देश से परीक्षण की पद्धति
I.	15 डिग्री सें ग्रे. कि.ग्रा./एम. ³ पर घनता	820 से 880 ¹	पी : 32
II.	सीटेन सं., न्यूनतम	45.0 ²	पी : 9
III.	अधिकतम डिग्री सें ग्रे. पर प्रबलता उपलब्धि द्वारा 85 प्रतिशत आसवन अधिकतम डिग्री सें ग्रे. पर, प्रबलता उपलब्धि द्वारा 95 प्रतिशत	350 370	पी : 18
IV.	सल्फर, द्रव्यमान पर प्रतिशत	0.50 ³	पी : 33

पाद टिप्पण :

- 2000 ईस्वी तक 820 से 860।
- 31 दिसम्बर, 1998 तक 48 (परिष्करणियों के सिवाय दिग्बोई, गुवाहाटी, बोंगाइगांव रिफाइनरीस और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड)।
- (i) चार महानगरों और ताज ट्रेपीजियम में 1 अप्रैल, 1996 तक द्रव्यमान पर 0.05 प्रतिशत।

- (ii) ताज ट्रेपीयम में 1 अक्टूबर, 1996 तक द्रव्यमान पर 0.25 प्रतिशत।
 (iii) पूरे देश में 1 अप्रैल, 1999 तक द्रव्यमान पर 0.25 प्रतिशत।

टिप्पण :—

- (क) उपरोक्त विनिर्देश केवल एच. एस. डी. के लिए हैं।
 (ख) 1997 के दौरान या उसके पश्चात् बनने वाली नई परिष्करणियों के लिए, विद्यमान परिष्करणियों के लिए 2000 ई. तक लागू विनिर्देश 1997 तक लागू होंगे।
 (ग) 'पी' भा. मा. : 1448 के भाग को निर्देश करता है।

ENVIRONMENT DEPARTMENT
 (Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 1996

No. F. 25 (258)/SC/LC/DPCC/95/651.—In pursuance of the provisions of clause (d) of section 2 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981) read with Notification No. Legal 158/(4)/90 dated the 15th March, 1991 of the Central Pollution Control Board, the Delhi Pollution Control Committee hereby approves the following fuels as the "APPROVED FUELS" for the purposes of the said Act in the National Capital Territory of Delhi; namely:—

LIST OF APPROVED FUELS IN THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

1. Coal with low sulphur (S=0.4%)
2. Fuel oil/LDO/LSHS/with low sulphur (S=1.8%)
3. Motor gasoline (as per specifications given in the notification dated 2-4-96 of the Ministry of Environment and Forests, annexed hereto)
4. Diesel (as per specifications given in the notification dated 2-4-96 of the Ministry of Environment and Forests, annexed hereto)
5. Liquid Petroleum Gas (LPG)
6. Compressed Natural Gas (CNG)
7. Kerosene
8. Naptha (for power station)
9. Aviation turbine fuel (for aircraft)
10. Fire wood (only for domestic use in rural areas and crematorium)
11. Bio-gas

By Order
 D.S. NEGI, Chairman
 Delhi Pollution Control Committee

ANNEXURE

Specifications of Motor Gasoline for Emission Related Parameters

Sl. No.	Characteristics	Requirement	Method of Test ref. to P: of IS:1448
1	2	3	4
(i)	Reid Vapour Pressure at 38°C, KPa	35 to 70	P: 39
(ii)	Benzene, per cent by volume, Max	5.0 ¹	P: 104
(iii)	Lead Content as (Pb) g/l, Max	0.15 (low leaded) ² 0.013 (unleaded)	P: 38
(vi)	Sulphur, per cent by mass, Max	0.10 (unleaded) 0.20 (leaded)	P: 34

1	2	3	4
(v)	Potential Gum, g/m ³ , Max		
(vi)	Gum (Solvent Washed) g/m ³ Max	50	ASTM 873 : 8
(vii)	Oxygenates Content Ether (MTBE, ETBE) alcohol, per cent by volume, Max	40	P : 29
(viii)	Phosphorus	15	
		See Foot Note 3	ASTMD 3231

Foot Note :-

- 3.0 per cent by volume maximum in metro cities by 2000 AD.
- 0.15 g/l by 31st December, 1996 (for entire country);
0.013 g/l by 1st April 1995 (in four metrocities);
by 1st December, 1998 (for all State capitals/UTs and major metro cities) and
by 1st April, 2000 for the entire country.
- Phosphorous containing additives shall be absent.

Note:

- Above specifications apply to leaded as well as unleaded petrol except lead content.
- For new refineries coming up during or after 1997 the specification applicable by 2000 for existing refineries shall be applicable by 1997.

Specifications of Diesel Fuel for Emission Related Parameters

Sl. No.	Characteristics	Requirement	Method of test ref. to P : of IS : 1448
(i)	Density at 15°C, kg/m ³	820 to 880 ¹	P : 32
(ii)	Cetane Number, Min	45.0 ²	P : 9
(iii)	Distillation 85 per cent by volume recovery at C, Max 95 per cent by volume recovery at ° C, Max	350 370	P : 18
(iv)	Sulphur, per cent by mass,	0.50 ³	P : 33

Foot Note :-

- 820 to 860 by 2000 AD.
- 48 by 31st December, 1998 (except in the refineries—Digboi, Gauhati and Bongaigaon Refineries and Petrochemicals Ltd.)
- (i) 0.50 per cent by mass 1st April, 1996 in four metros and Taj Trapezium;
(ii) 0.25 per cent by mass by 1st October, 1996 in Taj Trapezium.
(iii) 0.25 per cent by mass by 1st April, 1999 throughout the country.

Note:

- Above specifications apply to HSD only.
- For new refineries coming during or after 1997 specification applicable by 2000 for existing refineries shall be applicable by 1997.
- 'P' refers to parts of IS : 1448.